दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 ▸ अंक : 2 ▸ गाजियाबाद, फरवरी, 2020 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

बेटी अनन्या को फिल्मफेयर मिलने की खुशी में चंकी...P-8

आप की हैट्रिक

मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत 6 मंत्रियों ने ली शपथ

मंत्री	उम्र	शिक्षा	संपत्ति	आपराधिक मामले
मनीष सिसोदिया	47	डिप्लोमा इन जर्नलिज्म	₹ 93 लाख	3
गोपाल राय	44	सोशियोलॉजी में पीजी	₹ 90 लाख	1
सत्येंद्र जैन	55	बी. आर्किटेक्चर	₹ 8.07 करोड़	2
इमरान हुसैन	38	बिजनेस स्टडीज में ग्रेजुएशन	₹ 1.41 करोड़	0
राजेंद्र पाल गौतम	51	एलएलबी	₹ 1.88 करोड़	0
कैलाश गहलोत	45	पॉलिटिकल साइंस में बीए	₹ 46 करोड़	0

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। कोई भी काम हो तो सीधे मेरे पास आएं। दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी अन्य नेता को न्योता नहीं दिया। हालांकि, बनारस दौरे के चलते मोदी इसमें शामिल नहीं हो पाए। केजरीवाल ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। आप ने दिल्ली के विकास में योगदान देने वाली 50 लोगों को समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया।

'यह मेरी नहीं, लोगों की जीत'

शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने कहा, ''आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मेरी नहीं आप लोगों की जीत है। हर दिल्लीवाले की जीत है। हर मां–बहन की जीत है। पिछले 5 सालों में हमारी कोशिश रही है कि दिल्ली के हर परिवार की जिंदगी में खुशहाली ला सकें। दिल्ली का तेजी के साथ विकास हो और अगले 5 साल भी यही कोशिश जारी रहेगी। चुनाव में कुछ लोगों ने आप, भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन मैंने आज शपथ ली है तो सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं भाजपा और कांग्रेस वालों का भी सीएम हूं। 5 साल में कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया।'' ''दिल्ली के दो करोड़ परिवारों से कहना चाहता हूं कि चुनाव अब खत्म हुआ। सभी 2 करोड़ लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा। चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो। मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं।

चुनाव में विरोधियों ने जो कहा मैंने सबको माफ कर दिया है। जो उठापटक हुई सब भूल जाओ। केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेजा था। वे शायद व्यस्त हैं, इसलिए आ नहीं पाए। दिल्ली को आने बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद चाहता हूं।''

'कई राज्यों ने दिल्ली का मॉडल अपनाया'

केजरीवाल ने कहा, ''देशभर से खबर आ रही है कि कई सरकारों ने दिल्ली के मॉडल पर बिजली मुफ्त कर दी। मोहल्ला क्लीनिक शुरू कर दिए। कौन कहता है कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। दिल्ली की तरफ देखो। आज मुझे खुशी है कि मेरे साथ यहां दिल्ली के निर्माता मौजूद हैं। दिल्ली को दिल्ली के टीचर्स, ऑटोवाले, रिक्शेवाले, बस ड्राइवर कंडक्टर और रेहड़ी वाले चलाते हैं। हमारे साथ विकास कुमार नाम का युवा है, जो आईआईटी में पढ़कर दिल्ली का नाम रोशन करेगा। हमारे साथ निधि गुप्ता हैं, जो मेट्रो चलाती हैं। हमारे साथ हरून कुमार है, जो बस मार्शल हैं। ऐसे लाखों–करोड़ों दिल्ली के निर्माता दिल्ली को चलाते हैं। नेता और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं।'' ''कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है। श्रवण कुमार की सेवा भी फ्री थी। केजरीवाल दिल्लीवालों को और वे केजरीवाल को प्यार करते हैं। यह प्यार भी फ्री का प्यार है। क्या मैं बच्चों से स्कूल फीस और मरीजों से इलाज के पैसे लेना शुरू कर दूं। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर। ऐसा वक्त आएगा, जब पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। हमारे सपने को पूरा करने के लिए एक प्रार्थना है। हम होंगे कामयाब... एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन...।''

खास मेहमानों को न्योता

जिन खास लोगों को न्योता दिया गया है, उनमें टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ कर आईआईटी परीक्षा पास करने वाले विजय कुमार, मोहल्ला क्लीनिक की डॉक्टर अल्का, बाइक एंबुलेंस सेवा चलाने वाले युद्धिष्ठिर राठी, नाइट शेल्टर में केयरटेकर शबीना नाज, बस मार्शल अरुण कुमार, सिग्नेचर ब्रिज के आर्किटेक्ट रतन जमशेद बाटलीबोइ और मेट्रो पायलट निधि गुप्ता शामिल हैं।

आप को 62, भाजपा को 8 सीटें मिलीं

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को वोट डाले गए थे। 11 फरवरी को आए नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाई। वहीं, भाजपा को 8 सीटें मिलीं, पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 5 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस 2015 की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई।

पीएम मोदी काशी महाकाल एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

भगवान शिव के लिए आरक्षित सीट, भड़के ओवैसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किए जाने के बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल इस ट्रेन में एक सीट भगवान शिव के लिए भी आरक्षित है। जिसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने इसे लेकर पीएमओ को टैग करते हुए संविधान की प्रस्तावना ट्वीट किया है। बता दें कि यह एक्सप्रेस दो राज्यों के तीन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेगा। यह ट्रेन इंदौर के निकट ओंकारेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी। ट्रेन में भगवान शिव के लिए सीट आरक्षित करने ने नए विचार के बाद रेलवे प्रशासन इस पर विचार कर रहा है कि ट्रेन में स्थायी तौर पर भगवान शिव के लिए एक सीट आरक्षित की जाए। उत्तर रेलवे के अनुसार काशी महाकाल एक्सप्रेस के कोच संख्या बी 5 की सीट संख्या 64 भगवान के लिए खाली की गई है।

रेलवे के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित और खाली रखी गई है। सीट पर एक मंदिर भी बनाया गया है ताकि लोग इस बात से अवगत हों कि यह सीट मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के लिए है। रेलवे ऐसा स्थायी तौर पर करने के लिए विचार कर रहा है।

इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसके एसी–3 श्रेणी के सभी कोच में हर समय ऊं नमः शिवाय मंत्र बजता रहता है। इस मंत्र समेत भगवान शिव के अन्य भजनों की धुन भी बजती रहती है। इसमें बैठने पर एहसास होगा कि यह ट्रेन काशी विश्वनाथ से महाकालेश्वर के दर्शन कराने जा रही है। पहले दिन कोच बी–5 में साइड अपर सीट में भगवान शिव का छोटा सा मंदिर भी बनाया गया और इसमें भजन कीर्तन वाली टोली भी शामिल रही। इसके अलावा इसमें यात्रियों का स्वागत करने के लिए भगवा–पीले वस्त्र धारण किए पुरुष ट्रेन होस्ट मौजूद रहे। वहीं, तेजस एक्सप्रेस में महिला ट्रेन होस्टेस हैं। ट्रेन के सभी एसी–थ्री कोच खूबसूरत होने के साथ ही सुविधाजनक हैं। इसमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे हैं। निगरानी के लिए कोच अटेंडेंट की सीट के ऊपर एलसीडी डिस्प्ले लगा है। इसके माध्यम से अटेंडेंट सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा। दिक्कत होने पर बिना बुलाए फौरन पहुंच भी जाएगा। हालांकि, ट्रेन एस्कॉर्ट में आईआरसीटीसी का अपना एस्कॉर्ट है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
श्रम–जगत
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2020

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING			DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/10/19 TO 31/03/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		3/1/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8278.94	9676.05	10144.24	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8451.95	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	9106.83	10625.44	11158.67	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9231.95	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	10201.09	11795.93	12173.09	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10128.95	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11160.95	11266.23	*

सरकार ने लगभग 80,000 कंपनियों का किया खुलासा

जिन्होंने रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाकर इस प्रणाली को धोखा दिया है

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)– नई दिल्ली। सरकार ने लगभग 80,000 कंपनियों का खुलासा किया है जिन्होंने रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाकर इस प्रणाली को धोखा दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि फ्लैगशिप योजना के लिए केंद्र से 300 करोड़ रुपये औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए थे। रिपोर्ट बताती है कि इसके प्रधानमंत्री रोजगार योजना '(पीएमआरपीवाई)' के नौ लाख लाभार्थियों को नौकरी औपचारिकता योजना के अयोग्य पाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि योजना लाने से पहले ही वे औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इन कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को अवरुद्ध कर दिया है। इसने अब तक रु। संबंधित नियोक्ताओं से 222 करोड़। लाभार्थियों की संख्या को ईपीएफओ पेरोल डेटाबेस में शामिल किया गया था, जिसका उपयोग सरकार द्वारा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए किया जाता है। पीएमआरपीवाई, 2016 में नए रोजगार पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई एक केंद्रीय योजना है। इस योजना के तहत, सरकार 1 अप्रैल को या उसके बाद ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए 12 प्रतिशत (ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों की ओर) पूर्ण नियोक्ता के योगदान का भुगतान करती है। 2016, वेतन के साथ 15,000 रुपये प्रति माह तक। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से लागू की है।

सरकार का दावा है कि पीएमआरपीवाई का दोहरा लाभ है क्योंकि रोजगार सृजन के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाता है और बड़ी संख्या में श्रमिकों को ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह इन कर्मचारियों को औपचारिक क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्रदान करता है। जनवरी 2019 में, सरकार ने कहा था कि योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है।

भगवान कृष्ण–बलराम का रथ खींचने के लिए भक्तों में होड़

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)– गाजियाबाद। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित कृष्ण बलराम रथयात्रा के दौरान शहर हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर धूम उठा। भगवान कृष्ण–बलराम की रथ–यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रथयात्रा के इस दौरान पूरे मार्ग पर भक्तों ने भगवान फूल बरसाकर स्वागत किया। कोलकाता के कारीगरों ने देश और विदेशी फूलों से रथ को सजाया। साथ ही क्रेन से भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाया गया। जगन्नाथ से आए पंडों ने अपने पारंपरिक यंत्रों के साथ प्रस्तुति देकर रथयात्रा की अगुवाई की। भगवान कृष्ण–बलराम की रथ यात्रा नवयुग मार्केट से शुरू हुई। यात्रा से पूर्व भगवान कृष्ण, बलराम व सुभद्रा की प्रतिमाओं को राजनगर के श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर से नवयुग मार्केट लाया गया। विधि–विधान के साथ पूजा–अर्चना कर उन्हें रथ में विरा. जमान कराया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने उनकी पूजा–अर्चना की। रथ–यात्रा के शुरू होते ही पूरा नवयुग मार्केट हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा। रथ यात्रा में सबसे आगे देशी– विदेशी भक्तों की टोली रॉक बैंड पर हरे कृष्णा गाते हुए चल रही थी। उनके पीछे फूलों से सजा भगवान का रथ था। वृंदावन से आए विशेष वस्त्र और कोलकाता के फूलों से सजे भगवान कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के रथ को भक्त भक्तिभाव से खींचते हुए चल रहे थे। रथयात्रा नवयुग मार्केट से दिल्ली गेट, डासना गेट होते हुए मालीवाड़ा चौक पर रूकी जहां भगवान को क्रेन से 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)
http://www.legalipl.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक सागाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
03
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2020
P.

स्वतंत्रता सेनानी ने फांसी पर लटकाकर मौत की सजा देने की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

नई दिल्ली। निर्भया कांड में चार दोषियों को फांसी की सजा देने की संभावना के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक 88 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें मौत की सजा देने के लिए फांसी पर लटकाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। एस परमेश्वरम नमपोथरी नामक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दायर याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) को चुनौती दी गई है। इस धारा में कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, तो उसे तब तक गर्दन से लटकाए रखा जाए जब तक वह मर नहीं जाता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) कहती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है तो वह इस प्रकार दिया जाएगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

केरल के निवासी याचिकाकर्ता के अनुसार, यह प्रावधान भारत के संविधान की मूल संरचना और विशेषताओं के विरोध में है। उन्होंने याचिका में कहा कि ष्क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 (5) के तहत अनुपालन संभव है, जबकि एक दोषी को सजा से पहले किसी विशेष अवधि के लिए कारावास

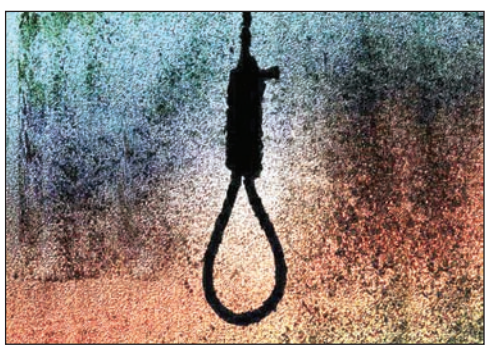

की सजा से गुजरना पड़ता है और दोषी मानते हुए उसे फांसी देते हुए तब तक गर्दन से लटकाया जाता है, जब तक कि वह मर न जाए। इसके बाद भी उसका शरीर लटकता रहता है जिसके परिणामस्वरूप शरीर का अनादर होता है और इस प्रकार यह सजा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 में धारा 354 (5) के दायरे बाहर हो जाती है। याचिका में आगे कहा गया है, क्या दोषी को फांसी देने वाला व्यक्ति सरकारी कर्तव्य कर रहा है या किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है? क्या राज्य किसी व्यक्ति को कर्तव्य निर्वहन में किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु देने का अधिकार दे सकता है? क्या राज्य के पास किसी को ऐसा अधिकार देने की शक्ति है? यदि हां तो वह विशेष प्रावधान क्या है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु को प्रशासित करने का अधिकार देता है, विशेष रूप से जब ष्जीवन का अधिकारष संविधान में ऊपर है और हर 'मैं' 'हम' का एक हिस्सा है और राज्य के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को मारना निषिद्ध है? एडवोकेट विल्स मैथ्यू के माध्यम से दायर याचिका में मृत्युदंड के खिलाफ दलीलें भी हैं।

यह तर्क दिया गया है कि मृत्यु दंड में निवारक प्रभाव का अभाव है और यह कि जब वह जीवन नहीं दे सकता है तो राज्य के पास मानव जीवन छीनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे समय में जब यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया है कि किसी व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल एक संत या अपराधी बनने के लिए बहुत मायने रखता है, क्या किसी व्यक्ति को उसके नियंत्रण से बाहर कारणों से मारा जा सकता है, याचिकाकर्ता ने याचिका में पूछा। याचिका इस प्रकार धारा 354 (5) को समाप्त करने का अनुरोध करती है, क्योंकि संविधान में यह अति आवश्यक है। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1973, एससी 947 मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच–न्यायाधीश पीठ द्वारा मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।

कवि कुमार विश्वास की फॉर्च्यूनर कार ले उड़े चोर, घर के बाहर खड़ी थी

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

गाजियाबाद। आप के बागी नेता और कवि कुमार विश्वास की कार उनके घर के बाहर से चोर चुरा ले गए। बता दें कि कुमार विश्वास गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं। उनके घर के बाहर ही उनकी फॉर्च्यूनर कार खड़ी थी, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसकी शिकायत कुमार विश्वास के मैनेजर ने पुलिस में दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुमार विश्वास के घर के बाहर खड़ी फार्च्यूनर कार शनिवार रात डेढ़ बजे चोर उड़ा ले गए। कवि कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ वसुंधरा सेक्टर तीन में रहते हैं। सेक्टर तीन स्थित उनके घर के बाहर काली कार में सवार होकर कुछ बदमाश पहुंचे और घर के बाहर खड़ी उनकी फार्च्यूनर कार चोरी कर ले गए। पूरी धटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

गायक कैलाश खेर ने सीएए का किया सपोर्ट, कहा- दुखियारों के लिए कानून स्वागत योग्य

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

गाजियाबाद। मशहूर गायक कैलाश खेर ने अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर अलग छाप छोड़ी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के सवाल पर उन्होंने चिर परिचित सुफियाना अंदाज में जवाब दिया कि सभी धर्म इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। दुखियारों की मदद करना हर मजहब सिखाता है ऐसे में अगर परेशानहाल लोगों की मदद के लिए कानून बना है तो इसका स्वागत होना चाहिए। मूल रूप से मेरठ में जन्में गायक कैलाश खेर रविवार को राजनगर एक्सटेंशन में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीएए का किसी स्तर पर विरोध करना सही नहीं है। सभी

धर्म इंसानियत सिखाते हैं। कोई भी मजहब किसी को परेशान करने या दुखियारे की मदद न करने को नहीं कहता। भारत एक संघ है और यहां सभी धर्मों का सम्मान मिला है। सीएए कानून जिस मकसद के साथ लाया गया है जहां तक मैं समझता हूं उसका उद्देश्य किसी धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कैलाश खेर ने इससे पहले बलिया में भी एक कार्यक्रम में दिसंबर, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून का सपोर्ट करते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा कि विरोध अज्ञानता का परिचय है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी अज्ञानता का ही लाभ कुछ लोग उठा रहे हैं जिसे देश हित में नहीं बताया। जनता के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी है। ऐसे में सरकार का कोई भी निर्णय देश की जनता के खिलाफ नहीं होगा। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो जामिया मिल्धलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत शाहीन बाग में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

जीडीए की 1,669 फ्लैट की स्कीम में आए महज 13 आवेदन

गाजियाबाद। मकर संक्रांति पर लॉन्च की गई जीडीए की हाउसिग स्कीम में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। 1669 फ्लैट की स्कीम में महज 13 आवेदन आए। अधिकारी बताते हैं कि जमीन खरीद कर मकान बनाने में लोगों की ज्यादा रुचि है। मौजूदा दौर के हिसाब से फ्लैट की कीमतें लोगों को ज्यादा लग रही हैं। उन्हें लगता है कि भविष्य में बेचने पर फ्लैट की वर्तमान कीमत नहीं मिल पाएगी। जीडीए ने तय किया है कि इस स्कीम में आवेदन के लिए समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। जितने आवेदन आए हैं, उनका ड्रॉ कराकर आवंटन किया जाएगा। जीडीए ने बड़ी उम्मीद से नए साल में पहली हाउसिग स्कीम 15 जनवरी को लॉन्च की थी। इसमें इंदिरापुरम, इंद्रप्रस्थ, कोयल एंक्लेव और चंद्रशिला अपार्टमेंट में बने एलआइजी, मिनी एमआइजी, 1बीएचके, 2बीएचके और 3बीएचके फ्लैट शामिल किए गए थे। लोगों को जनहित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना था। एक माह का वक्त दिया गया था। इतने समय में महज 13 लोगों ने आवेदन किए। इसमें से ज्यादातर आवेदन मधुबन–बापूधाम के एलआइजी फ्लैट के लिए आए। 2 और 3 बीएचके फ्लैटों के लिए एक भी आवे. दन नहीं आया। लोन के जरिए इस स्कीम में फ्लैट खरीदने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता। साथ ही एकमुश्त भुगतान पर जीडीए की तरफ से पांच प्रतिशत की छूट मिलती। फिर भी सीमित आवेदन आए। इस स्कीम में हर वर्ग के लिए फ्लैट थे। अल्प आय वर्ग के लोग के लिए मधुबन–बापूधाम में 10.80 लाख रुपये कीमत के एलआइजी फ्लैट स्कीम का हिस्सा थे। मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 19.29 लाख से 52.28 लाख रुपये के बीच मिनी एमआइजी और 2बीएचके फ्लैट थे। अधिक आय वर्ग के लोग के लिए 60.89 लाख से 69.42 लाख रुपये के बीच 3बीएचके के फ्लैट स्कीम में शामिल थे।

फीस न देने पर स्कूल ने रोका प्रवेश पत्र, नोटिस जारी

गाजियाबाद। मनमानी फीस न देने पर स्कूल द्वारा छात्रा का प्रवेश पत्र रोकने का मामला सामने आया है। वहीं, अवैध रूप से प्ले स्कूल संचालित करने की शिकायत की है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोनों मामलों में स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव सचिन सोनी ने बताया कि इंदिरापुरम के प्रेसिडियम स्कूल में अवैध रूप से प्ले स्कूल मदर्स प्राइड चल रहा है। इसकी शिकायत पर डीआइओएस ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था, लेकिन स्कूल की ओर से समय पर जवाब न देने पर फिर से नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। दूसरे मामले में ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन ने बताया कि राजेंद्र नगर स्थित एक निजी स्कूल की ओर से जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष फीस मामले में अभी दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। इस कारण स्कूल की फीस का निर्धारण नहीं हो सका। इससे स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 12 की छात्रा के पिता ने फीस जमा नहीं की। स्कूल प्रबंधन ने फीस न जमा करने का आरोप लगाकर छात्रा का प्रवेश पत्र रोक लिया। मामले पर डीआइओएस से शिकायत की गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त शर्मा ने बताया कि एक निजी स्कूल में अवैध रूप से प्ले स्कूल के संचालन की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। स्कूल की ओर से जवाब न मिलने की स्थिति में स्कूल पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दूसरे स्कूल को छात्रा का प्रवेश पत्र जारी करने के लिए आदेशित किया गया है।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र

Editorial

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, फरवरी, 2020

सम्पादकीय

महंगाई की मार

सत्येन्द्र सिंह

खुदरा और थोक मुद्रास्फीति के अब जो आंकड़े आए हैं, वे किसी बुरी खबर से कम नहीं है। जनवरी में भी महंगाई रिकार्डतोड़ स्तर पर बनी रही। रोजमर्रा के उपयोग वाली चीजों और खाने-पीने के सामान के दाम जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हाल में बिना सबसिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर के दाम डेढ़ सौ रुपए बढ़ा दिए गए। पिछले छह साल में एलपीजी के दाम में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। करोड़ों परिवार हैं जो बिना सबसिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं। उनके लिए यह कोई मामूली बोझ नहीं है। इससे पहले कई महीने तक प्याज ने लोगों के आंसू निकाले थे। ऐसे में लोगों के पास कमरतोड़ महंगाई को झेलने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। लोग सस्ते और अच्छे दिन की उम्मीद में वक्त गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि इस बात के संकेत आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है, पर उतनी नहीं जितनी लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाल में रिजर्व बैंक ने भी नीतिगत दरों में कटौती इसीलिए नहीं की थी कि कहीं महंगाई का ग्राफ और न चढ़ जाए। जाहिर है, रिजर्व बैंक को निकट भविष्य में महंगाई कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बढ़ती महंगाई बता रही है कि उस पर काबू पानेमें सरकार लाचार ही है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) के आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी में दालों, सब्जियों और मांस-मछली जैसे खाद्य पदार्थों के दाम चढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ी है। जनवरी में महंगाई दर 7.59 फीसद थी, जबकि पिछले साल दिसंबर में यह 7.35 फीसद दर्ज की गई थी, और दिसंबर 2018 में यह आंकड़ा मात्र 1.97 फीसद था। इससे यह साफ है कि बारह महीनों में 5.38 फीसद महंगाई बढ़ी है, जो साढ़े पांच साल साल में सबसे ज्यादा है। पर यह सिलसिला थम नहीं रहा और खुदरा महंगाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी थोक महंगाई के आंकड़े भी नींद उड़ाने वाले हैं। थोक मुद्रास्फीति जनवरी में 3.1 फीसद, जबकि दिसंबर में यह 2.59 फीसद रही थी और इसका सबसे कारण प्याज और आलू के दाम बढ़ना रहा। महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा, पैसा तो उपभोक्ताओं की जेब से ही निकलता है। यही चिंता का विषय है। मामला सिर्फ महंगाई तक ही सीमित नहीं है। एनएसओ ने औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े बताए हैं, वे और चिंताजनक हैं। पिछले साल दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन में 0.3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। जबकि संसद में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में सुधार के दावे करते हुए कहा कि अब सब ठीक हो रहा है और औद्योगिक उत्पादन ने भी रफ्तार पकड़ी है। एनएसओ के आंकड़े सरकार के दावों की हकीकत को उजागर करने के लिए काफी हैं। सरकार बार-बार दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और यह गिरावट थोड़े वक्त की है। सवाल यह है कि महंगाई पर सरकार काबू पाने के लिए उपाय क्या कर रही है? देश में इतनी ज्यादा महंगाई तब है जब पिछले सात महीनों से कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम एक तरह से स्थिर बने हुए हैं। लोग महंगाई से इसलिए भी त्रस्त हैं कि आबादी के बड़े तबके के पास जरूरी खर्च तक के पैसे नहीं हैं। पिछले एक साल में जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई हैं, उसने संकट को और बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो महंगाई से कैसे पार पाएंगे।

केजरीवाल की जीत के मायने क्या हैं ? क्या वाकई मोदी-शाह की जोड़ी हार गयी है ?

दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से बोल ही दिया लगे रहो केजरीवाल....प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनने के शीला दीक्षित के रिकॉर्ड की बराबरी तो कर ही ली है लेकिन साथ ही अब केजरीवाल देश के उन गिने–चुने नेताओं की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं जिन्हें लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद जनता ने दिया है। आखिर इस बड़ी जीत के मायने क्या हैं ? केजरीवाल की बड़ी जीत से क्या बदलने जा रहा है ? क्या वाकई केजरीवाल की यह जीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की हार है ? सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल की जीत पर। इसमें कोई शक नहीं कि यह जीत ऐतिहासिक है। इतनी ऐतिहासिक कि 2015 के मुकाबले में 5 सीटें कम होने के बावजूद विरोधियों के पास बोलने के लिए तर्क नहीं है। यह जीत इतनी ऐतिहासिक है कि एक बार फिर से केजरीवाल के समर्थक उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने का सपना देखने लगे हैं। लेकिन सही मायनों में यह जीत इससे भी बड़ी है। बड़ी जीत के बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, क्या किया..आपको एक बार फिर से वह याद दिला देते हैं। वंदे–मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दिल्लीवालों आपने कमाल कर दिया। आई लव यू...ये थे जीत के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल के शब्द। हकीकत में पहले के तीन नारों ने ही दिल्ली में भाजपा की हार की पटकथा लिख दी थी। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि आंदोलन के समय से ही अन्ना–अरविंद के मंच पर यह नारे गूंजा करते थे लेकिन कुछ बीजेपी का कॉपीराइट कहिये या आक्रामक प्रचार...ये तीनों नारे बीजेपी के पर्यायवाची बन चुके थे। अन्य विरोधी दलों ने भी इन नारों से परहेज कर यह स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि देश में हिन्दुओं और हिंदुत्व की बात करने वाली, राष्ट्रवादी एजेंडे पर चलने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है– भाजपा।

केजरीवाल ने इस मिथक को ही तोड़ने का प्रयास किया। चुनाव से पहले हनुमान चालीसा सुनाकर, हनुमान मंदिर जाकर और शाहीन बाग से दूरी बनाकर। एक सोची–समझी रणनीति के तहत केजरीवाल ने हिंदुत्व के ब्रॉन्ड आईकॉन बन चुके नरेंद्र मोदी पर भी राजनीतिक हमला करने से पूरी तरह परहेज किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा सहित भाजपा के तमाम दिग्गजों के लगातार उकसाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग, नागरिकता कानून जैसे विवादास्पद मुद्दों पर हमेशा संतुलित टिप्पणी की। सही मायनों में कहा जाए तो भाजपा के उग्र राष्ट्रवाद का जवाब केजरीवाल ने अपने संयमित राष्ट्रवाद से दिया, हार्डकोर हिन्दुत्व का जवाब सॉफ्ट हिन्दुत्व से दिया और नतीजा हम सबके सामने है। इस जीत के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से अपने आपको बदल दिया। 2020 का अरविंद केजरीवाल 2014 या 2015 के अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह अलग नजर आया।

आज से 5–6 साल पहले हर बात पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले, भाजपा नेताओं के उकसाने पर तुरंत बयान देने वाले या ट्वीट करने वाले भावुक केजरीवाल की बजाय इस बार एक नये ही केजरीवाल चुनाव लड़ते नजर आए। यह केजरीवाल पहले की तरह जिद्दी तो थे लेकिन बात–बात पर झल्लाते नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे। मुश्किल सवालों का जवाब पहले की तरह चिढ़कर देने की बजाय मुस्कुरा कर टालते नजर आते थे। इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान में केजरीवाल ने एक बार भी सीधे मोदी पर निशाना नहीं साधा।

भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद केजरीवाल बार–बार लगातार अपने कामों और भविष्य के चुनावी वायदों को ही गिनाते नजर आए। भाजपा के नगर निगम के कामकाज पर सवाल खड़े करते नजर आए। भाजपा की सबसे कमजोर नस यानि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न कर पाने पर हमला करते नजर आए। इन सबके बीच वो बार–बार अपने आपको हिन्दू केजरीवाल और राष्ट्रवादी केजरीवाल साबित करते भी दिखाई दिए और यहीं से उन्होंने भाजपा की हार की पटकथा लिख दी। लेकिन क्या यह वाकई भाजपा की हार है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की पराजय है ? राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मोदी–शाह की जोड़ी को हरा कर ही दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन संघ के नजरिये से देखा जाए तो इस हार में भी जीत छिपी हुई है। भाजपा ने इस देश के चुनावी परिदृश्य को तो बदल ही दिया है। एक जमाने में भारतीय राजनेता मंदिर जाने, हिंदू और हिंदुत्व की बात करने से डरा करते थे। यही नेता खुलकर बेशर्मी की हद तक मुस्लिम टोपी पहन कर उन्हें लुभाने की कोशिश करते नजर आते थे लेकिन 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव ने इस डर को खत्म कर दिया है। इस चुनाव ने यह भी स्थापित कर दिया है कि आप मंदिर जाकर भी, हनुमान चालीसा पढ़कर भी सेक्युलर नेता बने रह सकते हैं। मुसलमानों का वोट पा सकते हैं। यह भी बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक रोल मॉडल भी बनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या फिर झारखंड के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोर.`न...ये सभी अब केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने राज्य में काम करो, जनता को लुभाने के लिए कुछ बड़ी योजनाओं को लागू करो।

हिंदुओं की बात करने से परहेज मत करो। मंदिर जाओ–पूजा–अर्चना करते दिखाई दो। देश के हित की बात करो, पाकिस्तान को हमेशा गाली दो और सबसे बड़ी बात ब्रांड नरेंद्र मोदी पर हमला मत करो। निश्चित तौर पर हम आने वाले दिनों में अब अन्य चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसी रास्ते पर चलते हुए देखेंगे।

दागियों पर शिकंजा

राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों का प्रवेश रोकने और विधायिका को अपराधियों से मुक्त बनाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस तरह का सख्त रुख अख्तियार किया है, उससे यह उम्मीद बंधती है कि राजनीतिक दल अब तो कुछ सबक लेंगे और दागदार लोगों को चुनाव लड़ाने से बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को अब यह निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर डालें और साथ ही यह भी बताएं कि ऐसे लोगों को टिकट देने के पीछे आखिर उनकी मजबूरी क्या है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को यही ब्योरा फेसबुक और ट्विटर पर भी सार्वजनिक करना होगा, एक स्थानीय भाषा व एक राष्ट्रीय अखबार में भी इसे छपवाना होगा और यह सारी जानकारी बहत्तर घंटे के भीतर चुनाव आयोग को देनी होगी। अगर इतना सब हो जाता है तो यह तय है कि राजनीतिक दलों को दागदार उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने से पहले एक नहीं, सौ बार सोचना पड़ेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों को चुनाव मैदान में उतारने के खिलाफ राजनीति दलों पर शिकंजा कसा है। राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों का दबदबा जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, वह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। जब जनप्रतिनिधि ही अपराधों में लिप्त होंगे, तो वे जनता की सेवा क्या करेंगे, देश को क्या दिशा देंगे! यह सवाल लंबे समय से गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन राजनीतिक दल इस बारे में जरा चिंतित नहीं हैं। इससे यह साफ है कि पार्टियां खुद ही नहीं चाहतीं कि ऐसा कोई सख्त कानून बने जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए राजनीति के दरवाजे बंद करे। शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जिसमें दागदार नेता न हों, जिन पर कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो। आमतौर पर राजनीतिक दल दागदार नेताओं को टिकट देने से इसलिए परहेज नहीं करते, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं। राजनीतिक दलों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण भी यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो, भले उम्मीदवार का आपराधिक रिकार्ड ही क्यों न रहा हो। धनबल, बाहुबल से युक्त ऐसे उम्मीदवार पार्टी के हितों को भी पूरा करने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक दलों को इस बात का भय है कि अगर आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव पर पाबंदी लग जाएगी, तो पार्टियों के सामने जिताऊ उम्मीदवारों के लाले भी पड़ सकते हैं। देखने की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां अदालत के इस आदेश की पालना में कितनी खरी उतरती हैं। राजनीति का अपराधीकरण दरअसल हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। पर ऐसा भी नहीं है कि इस समस्या से निपटना असंभव है। इसके लिए सबसे जरूरी है राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति। अगर राजनीतिक दल खुद पहल नहीं करेंगे तो इस समस्या से पार नहीं पाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि राजनीति में दागियों का प्रवेश बंद करने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। लेकिन संसद में अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास होता नहीं दिखा है। जाहिर है, पार्टियां ऐसा कोई भी कदम उठाने को लेकर इच्छुक और गंभीर नहीं हैं जिनसे उनके हित प्रभावित होते हों।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
गाजियाबाद/नोएडा
05
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2020
P.

उत्थान समिति द्वारा अवंतिका में कम्बल व खिचड़ी का वितरण किया गया

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

गाजियाबाद। उत्थान समिति द्वारा अवंतिका में कम्बल व खिचड़ी का वितरण किया गया। इसके साथ ही सभी को कॉटनके थैले भी वितरित किये गये ताकी लोगों को पर्यावरण के लिए जागरुक किया जा सके। इस कार्यक्रम में 250 लोगों को कम्बल व खिचड़ीका वितरण किया गया ।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उत्थान समिति के महासचिव बबिता सिंह ने कहा की हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिये ताकी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। वायुमण्डल में आक्सीजन की कमी हो गयी है जिसकी पूर्ति हम सिर्फ पेड़ लगा कर ही कर सकते हैं। अतः पेड़ों को बचाना होगा ताकि आक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। पोलीथीन का इस्तेमाल बंद करना होगा तभी पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा की हमारी संस्था विगत 15 वर्षों से स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए कार्यरत है। हमें पर्यावरण के ध्यान की आवश्यकता है तथा पोलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिये कार्यक्रम में जीतेन्द्र चौधरी, जे एन सचान, राजीव श्री वास्तव, राज. कुमार शर्मा, बबिता सिंह, मंजूलता सिंह, हेमलता शर्मा, राजेश शर्मा, राजेश सिंह नागर, मनोज कुमार, राजेश कुमार, वरुण, नरेश, कविता, अर्चना, रजनी, नीरज, अशोक इत्यादि लोग मौजूद थे।

हल्दीराम के प्लांट में गैस पाइप लाइन फटने से अमोनिया गैस का रिसाव

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

नोएडा। सेक्टर–65 में स्थित हल्दीराम कंपनी में गैस की पाइप फटने की वजह से अमोनिया गैस के रिसाव हो गया है। यह रिसाव कंपनी की प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ था।

रवास की वजह से एक कर्मचारी बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से रिसाव को काबू में करने के प्रयास शुरू कर दिए। फिलहाल उस पाइप को ठीक करने के काम में अधिकारी जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। कर्मचारी के बेहोश होने की जानकारी के बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। कंपनी में करीब 2 हजार लोग काम करते हैं। सबको बाहर निक. ाला गया। आसपास की कंपनियों को भी खाली करवाया गया है। साथ ही रोड पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था। पुलिस के अनुसार गैस रिसाव को रोक दिया गया है।

एनआरआई से जन्म प्रमाणपत्र बनाने को मांगी रिश्वत, हंगामा

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

गाजियाबाद। जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने में घूसखोरी सिर्फ नगर निगम मुख्यालय में ही नहीं जोनल कार्यालयों में चल रही है। निगम के कविनगर जोनल कार्यालय में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने एनआरआई महिला से जन्म प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर पांच हजार रुपये मांगे। महिला ने दो हजार रुपये दे भी दिए लेकिन बाद में कर्मचारी ने जन्म प्रमाणपत्र बनाने से मनाकर एनओसी जारी करने की बात कही। इस पर महिला भड़क गई। मामला स्थानीय पार्षद तक पहुंचा तो उसने समझौता कराकर रिश्वत की रकम वापस कराई।

कविनगर निवासी महिला की बेटी अमेरिका में रह रही है। उसे जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ी तो उसने जनवरी में नगर निगम के कविनगर जोनल कार्यालय में आवेदन किया। यहां पर तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पांच हजार रुपये मांगे। महिला ने दो हजार रुपये एडवांस दे दिए और तीन हजार बाद में देने की बात तय हुई। महिला के जन्म को 20 साल से ज्यादा हो जाने के कारण नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रमाणपत्र बनाने से मना कर दिया। ऐसे आवेदनों पर नगर निगम सिर्फ एनओसी जारी करता है कि निगम में आवेदक के नाम का जन्म प्रमाणपत्र नहीं बना है। इस पर मामला बिगड़ गया। महिला के साथ उनके पड़ोसी भी नगर निगम में पहुंच गए और हंगामा किया। रिश्वत लेने के बावजूद जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र न मिलने पर उन्होंने विरोध जताया।

एनआरआई से जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर पैसा लेने का मामला सामने आया था। विवाद बढ़ने पर मुझे जानकारी हुई तो मैंने दोनों पक्षों में समझौता कराकर रकम वापस कराई। पैसा लेने वाले कर्मचारी को हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।

-हिमांशु मित्तल, पार्षद, कविनगर

महिला की ओर से दिया गया पैसा लौटा दिया गया था। प्रमाणपत्र के लिए पैसा मांगा नहीं गया था। इससे ज्यादा मुझे मामले में कुछ नहीं कहना है।

-कविनगर जोन में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी

पार्षद ने वापस कराए दो हजार रुपये

जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रुपये लेने और फिर विवाद होने का मामला नगर निगम के स्थानीय पार्षद हिमांशु मित्तल के पास पहुंचा। वह जोनल कार्यालय पहुंचे और मामले को शांत कराया। उन्होंने रिश्वत के रूप में लिए गए दो हजार रुपये वापस कराकर मामला रफादफा कराया। नगर निगम में यह मामला अभी चर्चा का विषय बना है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे बनेगा देश में सुरक्षित सफर का मॉडल

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

गाजियाबाद। दिल्ली से सीधे मेरठ को जोड़ने वाले एक्सप्रेस–वे को सबसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की कवायद शुरू हो गई है। दूसरी ओर चौथे चरण के निर्माण के बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने सेफ्टी फीचर और जनसुविधा की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। 82 किमी लंबे एक्सप्रेस–वे पर वाहनों की गति के साथ एक्सप्रेस–वे को पार (क्रास) करने वाले लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर अब डासना से यूपी गेट के बीच बड़ी संख्या में आधुनिक फुटओवर ब्रिज बनाने का निर्देश दिया है, इनमें एस्कलेटर के साथ ही लिफ्ट तक की सुविधा होगी।

निर्धारित समय सीमा के हिसाब से मई तक एनएचएआई को एक्सप्रेस–वे तैयार करके देना है, जिसके पूरी तरह से तैयार होने पर असल दिक्कत उन लोगों को होगी जो विजय नगर की ओर से नोएडा या नोएडा की ओर से विजय नगर हर रोज पैदल ही सड़क पारकर आते–जाते हैं। ऐसी ही दिक्कतें डासना, हाईटेक सिटी, लालकुआं, एबीईएस कट से लेकर यूपी बोर्ड तक दर्जनों जगह हैं, जहां पर एक्सप्रेस–वे खुलते ही पैदल निकलना बंद हो जाएगा।

पैदल आने–जाने व सड़क पार करने वालों की संख्या भी लाखों में है और भविष्य में उसमें बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। ऐसे में सड़क परिवहन मंत्रालय चाहता है कि सिर्फ सीमित संख्या में एस्कलेटर व लिफ्टयुक्त ओवरब्रिज न बनाए जाएं। अगले 20 साल की जरूरत और लोगों के आवागमन को आधार बनाकर तैयार हों। इसी बाबत एनएचएआई को विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय के निर्देश से स्पष्ट हो गया है कि अब बड़ी संख्या में फुटओवर ब्रिज बनाने की तैयारी में हैं।

एक्सप्रेस-वे पर जहां भी जरूरत होगी और जिन क्षेत्रों में भविष्य में आबादी बढ़ने की संभावना है। उन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त एफओबी बनाए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से भी राय ली जा रही है, जिससे की बेहतर सुविधाएं दी जा सकें।

- वीके सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री

एफओबी बनने से सुरक्षित होगा एक्सप्रेस–वे का सफर

मंत्रालय चाहता है कि दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे पर कहीं कोई रुकावट न हो। एफओबी का डिजाइन भी उसी तरह से बनाया जाएगा, जिसमें व्यक्ति सुरक्षित तरीके से एक्सप्रेस–वे को पार कर सकेगा। साथ ही दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों को एस्कलेटर व लिफ्ट लगने से आसानी रहेगी।

कंट्रोल रूम से रहेगी नजर

एक्सप्रेस–वे के तैयार होने पर डासना में ही मॉडल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से पूरे हाईवे पर नजर रखी जाएगी।

ग्रीन एक्सप्रेस–वे पर दौड़ने वाले वाहनों की गति सीमा से लेकर किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल मदद दी जाएगी। इसी तरह से सभी एफओबी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो सीधे कंट्रोल रूम से लिंक होंगे। एफओबी पर लिफ्ट बंद होने या खराब होने की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी।

संभावित एस्कलेटर

आईएएमएस कॉलेज के सामने डासना
हाईटेक सिटी की सामने
लालकुआं
एबीईएस
विजयनगर तिराहा
एलएनटी तिराहा
कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के पास

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, फरवरी, 2020

सायरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

–उद्योग विहार (फरवरी 2020)–

नई दिल्ली। टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड को एक अस्थायी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 18 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सायरस मिस्त्री को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल किया गया था। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील में मिस्त्री को नोटिस जारी किया। अपील में कहा गया है कि निर्णय ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों पर नए अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स को फिर से लिखा है, जो अन्यथा मौजूद नहीं थे। टाटा संस ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें सायरस मिस्त्री को टाटा संस के एक्जिक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटाने को अवैध घोषित कर फिर से बहाल करने के आदेश जारी किए गए थे। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से NCLAT के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल 18 दिसंबर को सायरस मिस्त्री को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली थी। NCLAT ने उन्हें टाटा संस का एक्जिक्यूटिव चेयरमैन के पद पर फिर से बहाल कर दिया था। न्यायाधिकरण ने एन चंद्रा की नियुक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवैध ठहराया था। NCLAT की दो जजों की बेंच ने कहा कि मिस्त्री के खिलाफ रतन टाटा ने मनमाने तरीके से कार्रवाई की थी और नए चेयरमैन की नियुक्ति अवैध थी। NCLAT ने यह भी कहा है कि टाटा सन्स का पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनना गैर–कानूनी था. NCLAT ने फिर से पब्लिक कंपनी बनने का आदेश दिया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 423 के तहत टाटा संस द्वारा दायर वैधानिक अपील में कुछ प्रमुख बिंदु इस तरह थे। 1. सायरस मिस्त्री का चेयरमैन के रूप में कार्यकाल मार्च 2017 में समाप्त हो गया था। NCLAT के पास अपने मूल कार्यकाल से परे मिस्त्री की बहाली के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है, खासकर जब इस तरह की राहत की मांग नहीं की गई थी। 2. सायरस मिस्त्री को 'विश्वास की कमी' के कारण निदेशक मंडल के बहुमत के निर्णय द्वारा हटा दिया गया था। मिस्त्री को बहाल करने के लिए NCLAT का आद. श कॉर्पोरेट लोकतंत्र के सिद्धांतों को कम करता है। 3. पद से हटाने का कार्य एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के तहत प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। NCLAT ने यह कारण नहीं बताया कि निष्कासन प्रक्रिया अवैध और गलत कैसे थी। 4. NCLAT के पास टाटा संस को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (68) के तहत 'निजी कंपनी' घोषित करने के लिए अधिकार क्षेत्र की कमी है। टाटा संस ने 100 से अधिक वर्षों के लिए एक निजी कंपनी की सभी विशेषताओं को शामिल किया। 5. मिस्त्री को उनके शेष कार्यकाल के लिए बहाल करना, वो भी उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, 'आपदा के लिए नुस्खा' है क्योंकि इससे कंपनी के भीतर और अधिक भ्रम और संघर्ष होगा। 6. कार्यकारी चेयरमैन में विश्वास की कमी उसे दूर करने का पर्याप्त आधार है। इस तरह के निष्कासन से 'उत्पीड़न' नहीं होगा। 7. NCLAT उस 'व्यावसायिक ज्ञान' की अपील पर बैठा नहीं रह सकता जिसमें निदेशक मंडल द्वारा किसी व्यक्ति की उपयुक्तता और फिटनेस के संबंध में फैसला लिया गया हो। 8. NCLAT ने अन्य टाटा कंपनियों के निदेशक के रूप में मिस्त्री की बहाली का भी आदेश दिया – टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड – इस आधार पर कि टाटा संस के चेयरमैन के रूप में उनकी बहाली का एक तार्किक परिणाम था। हालांकि, ये तीन कंपनियां, जो अलग–अलग कानूनी संस्थाएं हैं, मुकदमेबाजी में पक्षकार नहीं थीं। 9. भविष्य में कार्यकारी चेयरमैन और निदेशकों की नियुक्तियों के लिए शापूरजी पलोनजी समूह से परामर्श करने के लिए NCLAT का टाटा संस को दिशानिर्देश एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के विपरीत है। के तहत अल्पसंख्यक शेयर धारकों को प्रदान नहीं किए गए अधिकारों को NCLAT द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। 10. टाटा ट्रस्ट के नामित निदेशक, रतन टाटा को, एजीएम के बहुमत की आवश्यकता वाले किसी भी अग्रिम निर्णय लेने से रोकने के निर्देश NCLAT की शक्तियों से परे हैं। 11. NCLAT यह समझाने में विफल रहा है कि बोर्ड के कार्य कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 241 और 242 के तहत कानूनी परीक्षणों के अनुसार 'पक्षपात' और ष्उत्पीड़नष कैसे गठित करते हैं। 12. किसी सदस्य के साथ शपूर्वाग्रहश कंपनी अधिनियम की धारा 242 के तहत ट्रिब्यूनल को ये शक्ति नहीं देता है, क्योंकि अनुभाग 'पक्षपात' के साथ संयोजन में 'उत्पीड़न' शब्द का उपयोग किया गया है। 13. धारा 242 के तहत आदेश तभी पारित किए जा सकते हैं जब ऐसे तथ्य हों जो यह दर्शाते हों कि कंपनी का समापन आवश्यक है। NCLAT के फैसले में ऐसे तथ्यों पर चर्चा नहीं की गई है। आदेश यह धारणा देता है कि टाटा समूह का समापन अन्यथा आवश्यक है। 14. NCLAT गलत आधार पर आगे बढ़ा कि टाटा समूह और शापूरजी पला. नजी समूह के बीच 'समझ' थी कि SPG के किसी एक व्यक्ति को कार्यकारी चेयरमैन बनाया जाएगा। ऐसी 'समझ' का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 15. NCLAT गलत तरीके से समझा है कि केवल इसलिए कि टाटा ट्रस्ट के प्रत्याशियों के पास सकारात्मक मतदान के अधिकार हैं, निदेशक मंडल के सभी निर्णय टाटा ट्रस्ट के इशारे पर या सकारात्मक मतदान अधिकारों के प्रयोग के खतरे के तहत लिए जाते हैं।

केबल ऑपरेटर जैमर के जरिए कर रहे सिग्नल जाम

नई दिल्ली। डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सर्विस के आने के बाद केबल ऑपरेटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से अब ये केबल ऑपरेटर जैमर का इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ इलाकों में ये जैमर लगाकर डीटीएच के नेटवर्क को बंद कर देते हैं, जिसके बाद मजबूरन लोगों को केबल कनेक्शन लेना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के तिलकनगर, पलासिया और वंदना नगर जैसे इलाकों में केबल ऑपरेटर्स ने जैमर का इस्तेमाल किया है जिसके कारण पिछले चार दिनों से तमाम डीटीएच कंपनियों के यूजर्स काफी परेशान हैं। टाटा स्काई के एक एग्जीक्यूटिव ने नाम ना बताने की शर्त पर इन इलाकों में जैमर लगे होने की पुष्टि की है, हालांकि अभी इस मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है।

महज 1,999 रुपये मासिक खर्च पर घर ले आएं इलेक्ट्रिक स्कूटर

नई दिल्ली। Ather Electric Scooter 450X: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बढ़ती डिमांड के चलेत दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी अपने एक से बढ़कर एक स्कूटर को लॉन्च कर रही हैं। जिनमें हाल ही में देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energल ने बाजार में अपनी नई Ather 450X को लांच किया है। Ather 450X की लांचिंग से लेकर ही इसकी कीमतों को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि कंपनी ने इस स्कूटर की कीमत का खुलासा कर दिया है, और ये कीमतें 1.49 लाख रुपये से 1.59 लाख रुपये के बीच रखी गई हैं। बता दें कि, इस स्कूटर को कंपनी ने मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत लांच किया है, जिसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन को चुनते है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 99,000 रुपये (एक्स–शोरूम, बेंगलुरु) निवेश करना होगा।

ई-कॉमर्स/अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई की जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगाई

नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख ई–कॉमर्स कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए थे। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि कोर्ट ने आयोग की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है।

- गलत नीतियां अपनाने के आरोपों की वजह से कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच के आदेश दिए थे
- कंपनियों ने आदेश खारिज करने की मांग की थी, हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई

सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने के लिए अमेजन ने याचिका दायर की थी

सीसीआई के आदेश पर रोक के लिए अमेजन ने सोमवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। अमेजन ने कोर्ट से सीसीआई के 13 जनवरी 2020 के जांच आदेश को खारिज करने की मांग की थी। जनवरी में सीसीआई ने भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ विशेष गठजोड़ कर सामान बेचने समेत अन्य कथित गलत व्यापारिक नीतियां अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। अमेजन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी तरफ, कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगा।

कोई टेलीकॉम कंपनी दिवालिया हुई तो बैंकों को चुकानी पड़ेगी कीमत- SBI चेयरमैन

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि किसी दूरसंचार कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में बैंकों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इससे पहले शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि दूरसंचार कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपये के सांविधिक बकाये का भुगतान करना होगा. बता दें कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बकाये भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद टेलिकॉम विभाग ने कहा कि कंपनियां आज आधी रात से पहले बकाये का भुगतान करें. देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई के प्रमुख ने कहा कि बैंक आगे के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. जब कुमार से यह पूछा गया कि यदि कोई दूरसंचार कंपनी दिवालियापन की ओर बढ़ती है तो इसका बैंकों पर क्या असर

होगा. उन्होंने कहा, अगर किसी भी उद्यम पर नकारात्मक असर होता है तो इसका असर एक व्यापक व्यवस्था पर होगा. चाहे वे बैंक हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे वेंडर हों या ग्राहक, हर कोई प्रभावित होगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस समय एयरसेल और आरकॉम के खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. दोनों कंपनियों ने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैंक जमाओं की बीमाराशि में बढ़ोतरी के चलते प्रीमियम का भार ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा.साथ ही कोर्ट ने टेलिकॉम विभाग से भी कंपनियों को राहत पर सवाल उठाया है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि टेलिकॉम विभाग ने कैसे नोटिफिकेशन जारी किया कि अभी भुगतान ना करने पर कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी.

टेलिकॉम कंपनियों को रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सरकार को स्पेक्ट्रम फीस जिसे स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंस फीस के रूप में जमा करना होता है. टेलिकॉम कंपनियों का डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स से लाइसेंस अग्रीमेंट होता है. अग्रीमेंट में ही एजीआर से जुड़े कंडीशन्स होते हैं।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
राष्ट्रीय
07
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2020
P.

कोई भी धर्म पूजा के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता इलाहाबाद हाईकोर्ट

—उद्योग विहार (फरवरी 2020)—

नई दिल्ली। कोई भी धर्म पूजा के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दो मस्जिदों की अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति की मांग को खारध्जि कर दिया है। जस्टध्सि पंकज मिठल और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित ने अपने आदेश में कहा, ष्कोई भी धर्म ये आदेश या उपद.श नहीं देता है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरध्ए प्रार्थना की जाए या प्रार्थना के लिए ड्रम बजाए जाएं और यदि ऐसी कोई परंपरा है, तो उससे दूसरों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, न किसी को परेशान किया जाना चाहिए।ष मामले में चर्च ऑफ गॉड (फुल गोस्पेल) इन इंडिया बनाम केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन एंड ऑर्म्स, 2000 (7) एससीसी 282 के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 5 के तहत संबंधित प्राधध्किरण की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थ्लों पर लाउडस्पीकर /पब्लिक एड्रेस सिस्टमध ध्वनि उत्पादक यंत्र/ उपकरण या एम्पलीफायर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों पर एम्पलीफायरों और लाउडस्पीकरों के लाइसेंस का नवीनीकरण और इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि यह उनकी धार्मिक परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है और बढ़ती आबादी के मद्देनजर एम्पलीफायरों और लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल कर लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाना आवश्यक हो गया है। हाईकोर्ट ने उक्त दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह सच है कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (1)के तहत गारंटीकृत है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार कर सकता है, हालांकि उक्त अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकार व्यापक स्तर पर अनुच्छेद 19 1) (ए) के अधीन है और इस तरह दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। मामले में आचार्य महाराजश्री नरंद्रप्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज बनाम गुजरात राज्य, 1975 (1) एससीसी 11 के फैसले पर भरोसा किया गया। कोर्ट ने कहा कि मामले में शामिल मस्जिदें, जिस क्षेत्र में हैं, वो हिंदू और मुसलमानों की मिश्रित आबादी का इलाका है, और अतीत में इस मसले पर हुए विवादों ने गंभीर रूप ले चुके हैं। इसलिए अगर किसी भी पक्ष को साउंड एम्पलीफायरों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो दो समूहों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका होगी। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति न देकर ठीक ही किया, विशेष रूप से उस इलाके में जहां दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा होने की संभावना थी, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी।

कोर्ट ने कहा कि षकिसी भी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ प्रशास.निक अधिकारियों की होती है और वो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं और उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि क्षेत्र की शांति और व्यवस्था भंग न हो और अगर किसी घटना के संबंध में कोई तनाव या विवाद हो तो उस पर सुलह और समझौता किया जा सकता है। इस प्रकार, उन पर तनाव कम करने और यह सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और शांति होने वाले नुकसान पर कहा "... भारत में लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि शोर अपने आप में एक प्रकार का प्रदूषण है। वे स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभावों को लेकर पूरी तरह से सचेत भी नहीं हैं। हालांकि हाल के दिनों में इसके बारे में कुछ चिंता दिखाई दी है।" कोर्ट ने कहा कि, दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे अन्य देशों में, लोग ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी सचेत हैं और वे अपनी कारों के हॉर्न भी नहीं बजाते हैं और हॉन्धकिंग को बुरा व्यवहार माना जाता है, क्योंकि इससे न केवल दूसरों को असुविधा होती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ध्वनि प्रदूषण (V), IN RE, 2005 (8) SCC 796 के नियमों में कहा गया है और जहां सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी आजादी किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, हालांकि ये निरपेक्ष नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अपना मौलिक अधिकार बताने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने घर में आराम और शांति से रहने का मौलिक अधिकार है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो चुका है कि शोर मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावित डालता है। शोर बहरेपन, उच्च रक्तचाप, अवसाद, थकान और झुंझलाहट का कारण हो सकता है।

अत्यधिक शोर से हृदय संबंधी बीमा.रियों, न्यूरोसिस और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी बधिमारियां हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने कहा, हमारा स्पष्ट मत है कि कोर्ट को अपने असाधारण क्षेत्राधिकार को प्रयोग करते हुए इस मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने से सामाजिक असंतुलन पैदा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य नाबालिग लड़कियों से रेप करने के दोषी करार

मुजफ्फरनगर। साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सोमवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया है। बृजेश ठाकुर को बलात्कार, गैंगरेप (आईपीसी की धारा 376 (डी), POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत यौन उत्पीड़न, आपराधिक षड्यंत्र और किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है। कुछ महिला आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र, अपराध का उन्मूलन, POCSO अधिनियम की धारा 12 और किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। एक आरोपी विक्की को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। एक अन्य आरोपी रोजी रानी को भी POCSO अधिनियम की धारा 21 को छोड़कर अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की एक रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा सामने आया था।

वर्तमान मामले के आरोपियों में बिहार के राजनेता ब्रजेश ठाकुर, शेल्टर होम के कुछ कर्मचारी और बिहार समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल थे। सभी 20 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, बलात्कार, और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उत्ते.जित यौन उत्पीड़न के तहत आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बिहार से कोर्ट, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।

तिहाड़ जेल में आपस में भिड़े कैदी, 12 घायल, चले ब्लेड

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच ब्लेडबाजी हो गई। इसमें 12 कैदी घायल हो गए। दो को डीडीयू अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जबकि 10 कैदियों का इलाज तिहाड़ जेल के अंदर ही अस्पताल में किया गया। झगड़े का कारण एक कैदी के बैरक में बंद होने से इनकार करना बताया जा रहा है। इसके चलते जेल में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। यह झगड़ा तिहाड़ की जेल नंबर–4 में दोपहर करीब 12 बजे हुआ। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर को जब जेल बंद होने का समय था। तब तमाम कैदी अपनी–अपनी बैरक में चले गए, लेकिन एक कैदी ने अंदर बंद होने से मना कर दिया। उसे काफी समझाया गया, लेकिन उसने कहा कि अभी उसका बंद होने का मूड नहीं है। बस इसी बात पर अन्य कैदियों से उसकी पहले कहासुनी शुरू हुई। जो बाद में ब्लेडबाजी में बदल गई। बताया जाता है कि कैदियों के पास पहले से ही कुछ पैनी चीज थी, तो कुछ के पास सर्जिकल ब्लेड थे। जो उन्होंने एक–दूसरे को मारे। कुछ कैदी उसके पक्ष में आ गए थे। जो बंद होने से मना कर रहा था, जबकि कुछ कैदी उसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। मामले को बिगड़ता देख एक कैदी ने अलार्म बजाकर जेल अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर में मौके पर जेल प्रशासन और टीएसपी के जवान आ पहुंचे। उन्होंने किसी तरह से मामले को शांत कराया। इसके बाद तमाम जख्मी कैदियों को दो अलग–अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया।

रेप के आरोपी बीएसपी सासंद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत ले सकेंगे शपथ

—उद्योग विहार (फरवरी 2020)—

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने अतुल राय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें राय को सासंद के तौर पर शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था। इसके साथ ही शुक्रवार 31 जनवरी को राय संसद में शपथ ले सकते हैं। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका दरअसल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सांसद की शपथ

लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो इसमें दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि 17 मई 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अतुल राय को गिरफ्तारी से सरंक्षण देने से इनकार कर दिया था और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। दरअसल अतुल राय के खिलाफ एक मई 2019 को एक छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में वाराणसी मे एफआईआर दर्ज की गई लेकिन अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वो नहीं गए और वीडियो के जरिए वो प्रचार करते रहे। 23 मई को आए नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तब से वो जेल में हैं और अभी तक सासंद के तौर पर शपथ भी नहीं ले पाए हैं।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
देश–विदेश
08 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2020

देर आए, दुरुस्त आए: चीन ने ढूढ़ लिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए कारगर इलाज

नई दिल्ली। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर आई है। चीन के शोधकर्ताओं ने बताया कि इस वायरस से प्रभावित मरीजों के लिए एक विशेष प्लाज्मा तैयार किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह प्लाज्मा उन लोगों का है जो कोरोना वायरस से ग्रस्त थे और अब सही हो चुके हैं।

ऐसे लोगों के शरीर में वायरस से निपटने के लिए पर्याप्त रूप में बन चुके एंटीबॉडी

चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप (सीएनबीजी) ने बताया कि स्वस्थ हो चुके मरीजों के शरीर में बहुत से एंटीबॉडी शामिल हो गए हैं जो कोरा. ना वायरस से निपटने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं।

टीका व कारगर दवा के अभाव में विशेष प्लाज्मा एक कारगर उपाय है– वूहान अस्पताल

हाल ही में वूहान के चिनइनथान अस्पताल के प्रधान च्यांग तिंगयू ने कहा कि अस्पताल हाल ही में उन लोगों के प्लाज्मा का अध्ययन कर रहा है। जिसमें आरंभिक परिणाम मिल गया है। अब टीका व कारगर दवा के अभाव होने पर विशेष प्लाज्मा का प्रयोग करके कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज एक कारगर उपाय ही है।

स्वस्थ हो चुके रोगियों से प्लाज्मा दान करने की अपील

च्यांग तिंगयू ने स्वस्थ हो चुके रोगियों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। ताकि इस बीमारी से ग्रस्त अन्य रोगियों को बचाया जा सके।

जुटाए गए प्लाज्मा से कोरोना वायरस के मरीजों का होगा इलाज

सीएनबीजी ने इस बात की घोषणा की कि इस बीमारी से निजात पाने वाले मरीजों से प्लाज्मा इकट्ठा किया गया है। प्लाज्मा इकट्ठा करने के लिए बहुत सावधानियां बरती गईं। इस दौरान रक्त का परीक्षण, वायरस निष्क्रियता की जांच और एंटीवायरस की सक्रियता आदि की जांच की गई। जुटाए गए प्लाज्मा से कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही सीएनबीजी और वूहान रक्त केंद्र ने संयुक्त रूप से स्वस्थ हो गये एनसीपी रोगियों से रक्त दान देने का आह्वान भी किया है।

दिखने लगा असर

चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने वुहान में स्वस्थ हो चुके मरीजों का प्लाज्मा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। वुहान के जियांगक्सिया के एक अस्पताल में बीते दिनों गंभीर रूप से बीमार 10 मरीजों का इसी विधि से उपचार जारी है। रोगियों को इस विधि से उपचार देने के 12 से 24 घंटे बाद ही लक्षणों में सुधार पाया गया है। इलाज के बाद ही रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह सही पाया गया और बीमारी बढ़ाने वाले वायरस की संख्या में कमी पाई गई।

कोरोना वायरस पर भारत की बड़ी जीत, केरल में सभी तीन मरीज हुए ठीक

नई दिल्ली। चीन समेत दुनियाभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. हालांकि, भारत ने कोरोना वायरस पर बड़ी सफलता दर्ज की है. कोरोना वायरस से संक्रमित तीनों भारतीयों का संक्रमण खत्म हो गया है. केरल में कोरोना वायरस से संक्रमित तीसरे मरीज की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इससे पहले केरल के दो मरीजों को कोरोना वायरस से सही होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. इसमें एक का इलाज कसारगोड के कंझनगढ़ सरकारी अस्पताल में चल रहा थी, जबकि दूसरे छात्र का अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल चल रहा था. दोनों के सेहत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

पाकिस्तान में हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के खिलाफ ब्रिटेन में प्रदर्शन

नई दिल्ली। पाकिस्तान में पिछले बीते कुछ महीनों में लगभग 50 अल्पसंख्यक (हिंदू और सिख) लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 'पाकिस्तानी हिंदूज यूथ फोरम' और श्सिंधी हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानश नाम से चल रहे फेसबुक पेज के जरिए इस बात का खुलासा हुआ था। आज कराची में सिविल सोसाइटी और वकील नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय महक कुमारी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकले। लोगों ने कराची में प्रेस क्लब के बाहर महक कुमारी के लिए न्याय के लिए प्रदर्शन किया। आरोप है कि महक का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था और एक मुस्लिम ने उससे शादी की थी। फेसबुक पेज के जरिए दावा किया गया था, 'पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ इस तरह की बर्बरता की जा रही है। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय महक कुमारी का कुछ दिनों पहले अपहरण कर लिया गया था। अब वह अमरोत शरीफ में मुल्लाओं के साथ दिखाई देती है और वे दावा कर रहे हैं कि उसे अली रजा सोलंगी से प्यार हो गया है।' 'पाकिस्तानी हिंदूज यूथ फोरम' और 'सिंधी हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान' नाम से चल रहे फेसबुक पेज पर पिछले कुछ महीनों के दौरान जबरन धर्मांतरण व अपहरण कर जबरदस्ती मुस्लिम बनाने जैसी 50 घटनाओं का जिक्र किया गया है।

पेरिस में शुरू हुई एफएटीएफ की बैठक पाकिस्तान पर और सख्ती की है संभावना

नई दिल्ली। दुनिया भर में आतंकवादियों को आर्थिक मदद रोकने के लिए काम करने वाली संस्था फाइनेंसिएल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की अहम बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुई। इस बैठक में पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अभी निगरानी वाली 'ग्रे' सूची में रखा है। अगर उसकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिलती है तो उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट की जांच एफएटीएफ का इंटरनेशनल को–ऑपरेशन रिव्यू ग्रुप (ICRG) करेगा। एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान से 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा था। इस बैठक में यह देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान ने उसकी तरफ से निर्धारित बिंदुओं पर कार्रवाई की है या नहीं और की है तो किस हद तक। दुनिया भर के 205 देशों समेत विभिन्न संस्थाओं के 800 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व बैंक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एफएटीएफ ने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा था। एफएटीएफ की पिछली बैठक में यह पाया गया था कि पाकिस्तान ने सिर्फ सात बिंदुओं पर ही कुछ कार्रवाई की है। इसके बाद संस्था ने उसे इस साल फरवरी तक का वक्त देते हुए शेष 22 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा था। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए आतंकियों और उनके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा आतंकी सरगना हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के दो मामलों में सुनाई गई 11 साल की सजा को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। लेकिन जैश ए मुहम्मद का सरगना मसूद अजहर, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जाकिर रहमान लखवी जैसे खूंखार आतंकियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने के किसी भी कदम का विरोध भारत इस तर्क के साथ करेगा कि वहां अभी तक सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी के खिलाफ कदम उठे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस जैसे कुछ दूसरे देश भी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों को पर्याप्त नहीं मानते। उनका भी दवाब होगा कि पाकिस्तान को फिलहाल कोई छूट नहीं मिले। ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों का रुख भी काफी अहम होगा। इस बात के आसार कम हैं कि चीन, तुर्की की मदद पाकिस्तान के कुछ काम आएगी।

बेटी अनन्या को फिल्मफेयर मिलने की खुशी में चंकी पांडे की आंखों में आए आंसू

मुंबई। 65वें एमेजॉन फिल्मफेयर अवॉर्ड का आयोजन किया गया, ये आयोजन गुवाहाटी में हुआ था. एमेजॉन के इस फिल्मफेयर अवॉर्ड में चंकी पांडे कि बेटी अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. अनन्या ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर– 2' मूवी से फिल्म का डेब्यू किया था. उनके इस अवॉर्ड से चंकी पांडे भी बहुत खुश हैं। 'स्टूडेंट ऑफ द ईययर–2' फिल्म 10 मई 2019 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे. चंकी पांडे ने फिल्म फेयर में अब तक एक भी अवॉर्ड नहीं जीता है. अनन्या के फिल्म फेयर में अवॉर्ड जीतने को लेकर उनके पापा चंकी पांडे ने कहा, ''मेरे 34 साल के करियर में मुझे फिल्मफेयर के लिए चाक बार नॉमिनेट किया गया. 'तेजाब', 'आंखें', 'हाउसफुल' और 'अपना सपना मनी मनी' मूवी के लिए मुझे नॉमिनेशन मिला लेकिन मैं फिल्मफेयर अवॉर्ड नहीं जीत पाया. इसलिए जब अनन्या ने फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं. जब अनन्या को अवॉर्ड दिया जा रहा था तब सही में मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे. अनन्या अवॉर्ड को डिजर्व भी करती हैं।

फिल्म फेयर अवॉर्ड देश में फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवॉर्ड है।'' चंकी पांडे ने आगे कहा, ''मुझे अफसोस इस बात है कि मैं अवॉर्ड फंक्शन में जा नहीं पाया क्योंकि मैं किन्ही कारणों से बिजी था. मेरी पत्नी फिल्म फेयर अवॉर्ड फक्शन में गईं थीं और मैं उनसे फोन पर कनेक्टेड था. सही मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है.'' जब उनसे पूछा गया कि उनकी पत्नी भावना और अनन्या का इस बारे में क्या कहना है तो उन्होंने कहा, ''मैंने देखा कि अवॉर्ड मिलने के बाद मेरी पत्नी ने अनन्या को गले से लगा लिया और उन्हें किस किया. वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित थीं. मुझे तो कभी फिल्मफेयर अवॉर्ड नहीं मिला लेकिन मेरी बेटी ने इस अवॉर्ड को पाने के लिए बहुत मेहनत की. वह आइने के सामने जाकर प्रैक्टिस करतीं थीं और इसके नतीजे में उन्हें अवॉर्ड से नवाजा गया।''

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **''सत्येन्द्र सिंह''** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह